



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032025-261825
CG-DL-E-21032025-261825

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1324]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/फाल्गुन 30, 1946

No. 1324]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025

का.आ. 1342(अ).—भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (वर्ष 2008 का संख्या 27) के खंड- 2 के उप-खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा नागपुर के विमानपत्तन को महा विमानपत्तन के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एवी. 24011/6/2021-एडी]

रूबीना अली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2025

S.O. 1342(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 2 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (No. 27 of 2008), the Central Government hereby declares Nagpur Airport as Major Airport.

[F. No. AV-24011/6/2021-AD]
RUBINA ALI, Jt. Secy.

1924 GI/2025